

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 06.05.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-47 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.05.2021

बलवा कर सरकारी काम में बाधा डालने का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने मु0अ0सं0— 77/21, धारा—147,148,323,353,332,504,506,188 भादवि, 07 सी0एल0ए0 एक्ट व 3 महामारी अधि0 से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त रामचन्द्र मिश्रा को मुखबिर खास की सूचना पर कड़रू तारा पुलिया से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्त को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. रामचन्द्र मिश्रा पुत्र गिरिधर गोपाल मिश्रा नि0 कड़रू थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—77/21, धारा—147,148,323,353,332,504,506,188 भादवि, 07 सी0एल0ए0 एक्ट व 3 महामारी अधि0 थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 विरेन्द्र प्रसाद पाल मय टीम।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 06.05.2021

मारपीट व सरकारी काम में बाधा डालने के 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने मु0अ0सं0— 128/21, धारा 323,504,506,353 भादवि से सम्बन्धित वांछित अभियुक्तों— 01. आलोक कुमार पाण्डेय, 02. आशीष कुमार तिवारी को मुखबिर खास की सूचना पर मसकनवां रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तगणों ने दिनांक 04.05.2021 को सीएच0सी0 अधीक्षक बभनजोत डॉ0 तरुण कुमार मौर्या के साथ अभद्रता करते हुए सरकारी काम में बाधा उत्पन्न की थी। अभियुक्तों को वास्ते रिमांड माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. आलोक कुमार पाण्डेय पुत्र अर्जुन पांडेय नि0 ग्राम पिपरा बारा खां थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।
02. आशीष कुमार तिवारी पुत्र गोपाल तिवारी नि0 ग्राम जिगरिया थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0—128/21, धारा 323,504,506,353 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

उ0नि0 अरुण कुमार राय मय टीम।